उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-52/1109/एक-1-2016-5(35)/2015

लखनऊ: दिनॉक: 22 अगस्त, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1951) की धारा 117 की उपधारा (6) के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 231 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासनादेश संख्या-प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनॉक 19.12.2008 में दिये गये निर्देशों/शर्तो के अधीन एवं इस सीमा तक और सरकारी आदेश संख्या-68/तीन-2(6)/1979-राजस्व-1, दिनॉक 01 जुलाई,1983 का आंशिक उपान्तर करके श्री राज्यपाल महोदय नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो कि पूर्व में आदेश संख्या-68/3-2(6)/1979-रा0-1, दिनॉक 05 सितम्बर, 1986 द्वारा यथा संशोधित उक्त आदेश द्वारा इस अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गॉव सभा में निहित की गई थी, का पुनर्ग्रहण करते हुए ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गॉव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गौतमबुद्धनगर	सदर	दनकौर	सिरसा	7	0.0080	औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सुनियोजित विकास हेतु
2					8	0.0100	
3					11	0.0760	
4					12	0.0390	
5					14	0.0770	
6					15	0.0430	
7					19	0.0410	
8					20	0.0210	
9					35	0.0130	
10					37	0.0630	
11					39	0.1330	

shasnadesh.up.nic.in

12					40	0.1010	
13					41	0.2710	
14					42	0.0400	
15					48	0.0520	
16					51	0.0310	
17					52	0.3750	
18					53	0.0300	
19					54	0.0130	
20					58	0.0180	
21					64	0.0780	
22					65	0.0390	
23					67	0.0900	
24					68	0.0070	
25					74	0.3100	
26					80	0.0230	
27					81	0.0460	
28					83	0.0180	
29					86	0.0390	
30					87	0.0680	
31					93	0.0490	
32					94	0.0990	
33					99	0.0130	
34					109	0.1660	
35					110	0.0300	
36					113	0.0150	
37					114	0.0070	
38					115	0.0460	
39					116	0.1850	
40					121	0.0580	

shasnadesh.up.nic.in

41					123	0.0740	
42					128	0.0380	
43					135	0.0300	
44					140	0.0260	
45					141	0.0100	
46					143	0.0070	
47					147	0.0850	
48					158	0.0100	
49					162	0.0180	
50					174	0.1590	
51					175	0.0780	
52					177	0.0430	
53					179	0.0310	
54					180	0.0280	
55					190	0.0050	
56					191	0.1000	
57					192	0.0140	
58					197	0.0270	
59					198	0.0390	
60					202	0.0330	
61					208	0.0240	
62					219	0.1610	
63					220	0.3680	
64					223	0.0720	
65					224	0.0350	
66					235	0.0420	
67					236	0.0390	
68					439	0.0580	

shasnadesh.up.nic.in

69					442	0.0480	
70					443	0.0240	
71					450	0.0050	
72					454	0.0210	
73					455	0.0200	
74					459	0.0860	
75					462	0.0150	
76					467	0.0200	
77					468	0.0330	
78					470	0.0130	
79					474	0.0320	
80					484	0.0810	
81					496 मि0	0.0180	
82					497 मि0	0.0290	
83					500 मि0	0.0058	
84					501 मि0	0.0276	
85					506	0.0350	
86					507	0.0240	
87					509	0.1100	
88					520 मि0	0.0200	
89					542	0.0320	
90					543	0.0650	
91					545	0.0100	
92					546	0.0050	
93					550	0.0100	
94					556	0.0370	
95					559	0.0130	
96					560	0.0830	

shasnadesh.up.nic.in

97					561	0.0410	
98					562	0.0270	
99					564	0.0130	
100					569	0.0120	
101					570	0.0130	
102					589	0.0060	
103					594	0.0830	
104					595	0.1580	
105					240	0.0320	
106					241	0.0180	
107					245	0.0720	
108					246	0.0240	
109					253	0.0410	
110					254	0.1160	
111					258	0.0200	
112					259	0.0390	
113					266	0.0130	
114					267	0.1220	
115					277	0.0390	
116					285 मि0	0.1185	
117					286 मि0	0.0378	
118					300 मि0	0.0158	
119					338 मि0	0.0038	
120					341	0.1950	
121					342	0.0430	
122					353	0.0610	
123					354	0.0590	
124					358	0.0090	

shasnadesh.up.nic.in

125					363	0.0200	
126					367	0.2020	
127					379	0.0310	
128					380	0.0160	
129					386	0.0130	
130					387	0.0110	
131					393	0.0110	
132					394	0.0180	
133					396	0.1280	
134					397	0.0530	
135					399	0.0380	
136					405	0.0230	
137					414	0.0260	
138					415	0.0130	
139					417	0.0210	
140					427	0.0630	
141					431	0.0040	
142					596	0.0260	
143					599	0.0130	
144					600 मि0	0.0137	
145					604 मि0	0.0686	
146					608 मि0	0.0083	
147					612 मि0	0.0303	
148					614	0.0170	
149					619	0.0400	
				योग	**कुल 149 गाटा**	**7.7572 हे0**	

shasnadesh.up.nic.in

2. इस आदेश की प्रतियॉ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायें तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3. यह भी अपेक्षित है कि शासनादेश संख्या-1761/एक-1-2015-5-1(43)/2009-53, दिनॉक 20.11.2015 के अनुसार भूमि की कीमत ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो तथा शासनादेश संख्या-888/एक-1/04-रा0-1, दिनॉक 14-09-2004 के अनुसार उक्त भूमि की नयी दरों पर निकाली गई मालगुजारी के 150 गुना के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया लेखाशीर्षक "0029-भू राजस्व-800-अन्य प्राप्तियॉ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियॉ" के नाम जमा कराये जाने की सूचना तथा चालान की प्रति राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार वॉछित धनराशि जमा कराये जाने के पश्चात भूमि का कब्जा ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को दिया जायेगा। वार्षिक किराया प्रति वर्ष देय होगा। ग्राम सभा की उक्त भूमि औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखी जायेगी ।

4. ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के उपयोगार्थ सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा-चकमार्ग, सडक, मुख्य मार्ग, रास्ता व नालीकी भूमि का पुनर्ग्रहण इस शर्त के अधीन किया जा रहा है कि ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा चकमार्ग, सडक, मुख्य मार्ग व रास्ता की भूमि का पुनर्ग्रहण होने के उपरान्त ग्रामवासियों का आवागमन बाधित नहीं करेंगे तथा नाली के माध्यम से हो रहे सिंचाई की सुविधा तथा पानी के नैसर्गिक बहाव को भी अवरूद्व नहीं करेंगे।

5. जिलाधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या-प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनॉक 19.12.2008 में दिये गये निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन कराया जाय तथा निर्धारित प्रारूप पर यथा निर्देश पुनर्ग्रहण की सूचना भी उपलब्ध कराया जाये।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

shasnadesh.up.nic.in

संख्या-1109(2)/एक-1-2016-5(35)/2015 तद् दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।
4. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को उनके पत्र संख्या-318/डीएलआरसी/2013-14, दिनाँक 23.08.2013 के सन्दर्भ में
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, एच0 169, सेक्टर गामा, ग्रेटर नोयडा, जनपद गौतमबुद्धनगर ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in